दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	वाद सं. 210/2020 आज्ञा विस्तृत रूप से नन्द किशोर v/s फूलचन्द
[illegible]/3/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] साहब अन्य राज्य कार्य [illegible] अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4/4/24 को पेश हो।
4/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी[illegible] साहब अन्य राज्य का[illegible] अत पत्रावली पू[illegible] 17/5/24 को पेश हो।
17/5/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] साहब अन्य राज्य कार्य में व्य[illegible] है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/7/24 को पेश हो।
24/7/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपखण्ड अधिकारी [illegible] 07 R11 CPC [illegible] पत्रावली [illegible] 7/8/24 को पेश हो। (उपखण्ड [illegible] जयपुर द्वितीय)
7/8/24	पत्रा[illegible] पेश हुई। पीठासीन साहब [illegible] में व्यस्त [illegible] [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 8/8/24 को पेश हो।
8/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में वादीगण का वाद अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादीगण के वाद को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC मे अंकित तथ्यो —क्रमशः

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जयपुर

नन्द किशोर व अन्य बनाम फूलचन्द व अन्य

वाद संख्या / वर्ष 210/2020 दावा / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
8/8/24	को दोहराते हुए प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र 07 R11 CPC को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व विक्रय पत्रो दस्तावेजात, प्रार्थनापत्र 07 R11 CPC व जवाब प्रार्थनापत्र 07 R11 CPC का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षो की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2845 रकबा 0.18 है0, 2846 रकबा 0.03 है0, 2847 रकबा 0.10 है0, 2848 रकबा 0.14 है0, 2849 रकबा 0.02 है0, 2850 रकबा 0.14 है0, 2851 रकबा 0.27 है0, 2852 रकबा 0.04 कुल किता 8 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर को वादीगण सं. 1 लगायत 4 के पूर्व हक अधिकारी खातेदार गोविन्दनारायण, राधेश्याम व वादी सं. 5 गणेशनारायण द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्रो 20/11/2007, 6/12/2007, 23/7/2008 द्वारा बेचान किया जा चुका है। तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24/9/20 अनुसार वादीगण मौके पर काश्त नहीं कर रहे है। अपितु उक्त खसरा नम्बरान पर आवासिय कॉलोनी हनुमान नगर सृजित है। अत खसरा नम्बरान का बेचान होने के कारण और कृषि उपयोग (आवासीय कॉलोनी) होने से सीमा चिन्ह नष्ट हो गये है एवं मौके पर खातेदारो द्वारा कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान मे हनुमान नगर आवासीय योजना विकसित है। मौके पर पक्के मकान, सडके, रोड लाईट, पानी की लाईन, विद्युत कनेक्शन लगे हुऐ है। सरकार द्वारा समस्त कॉलोनी मे पक्की सी.सी रोड बना दी गयी है। वादग्रस्त आराजी का खातेदारी कृषि भूमि के रूप मे अस्तीत्व ही समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति मे वादीगण का वाद पोषणीय नहीं रह जाता है अत: प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद बाबत आराजी ख0न0 2845, 2847 व 2848 वाके ग्राम सांगानेर जिला जयपुर का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली पृथक से तैयार कर पेश करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। खुले न्यायालय मे सरे आम सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:35:30 IST
Reason: SelfAttested